ISSN: 2456–5474 RNI No.UPBIL/2016/68367 Vol.-5* Issue-7* August- 2020
Innovation The Research Concept

भारतीय संविधान निर्माण और डॉ. बी. आर. अम्बेड़कर

Constitution of India and Dr. B. R. Ambedkar

Paper Submission: 16/08/2020, Date of Acceptance: 25/08/2020, Date of Publication: 26/08/2020

बबली राम बैरवा
सहायक प्राध्यापक,
राजनीतिक शास्त्र विभाग,
बालहंस कालेज,
दौसा, राजस्थान, भारत

सारांश

प्रत्येक राष्ट्र का अपना एक संविधान होता है और इसी के द्वारा उस देश की शासन व्यवस्था निश्चित की जाती है। भारतीय संविधान 26 जनवरी, 1950 को लागू किया गया था जो कि डॉ. अम्बेड़कर की सूझबुझ का ही परिणाम हैं। संविधान सभा के ''ड्राफ्टिंग समिति'' के अध्यक्ष के रूप में भारतीय सामाजिक एवं राजनीति व्यवस्था को एक निश्चित आकार देने की दिशा में असाधारण योगदान दिया। उनके व्यक्तित्व और चिंतन का भारतीय संविधान के स्वरूप पर गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने भारत में फैली सामाजिक और आर्थिक शोषण को गंभीर चिंता का विषय माना। यही कारण हैं कि उन्होंने संविधान की विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत समाज में व्याप्त बुराईयों और कुरीतियों का अन्त कर दिया। उन्होंने देश की एकता को बनाए रखने के लिए संविधान में हिन्दी को राष्ट्रभाषा के रूप में मान्यता दिलवायी। परिणामस्वरूप भारतीय संविधान सामाजिक न्याय तथा समरूपता का एक महान दस्तावेज बन गया। उन्होंने सामाजिक समानता, समरसता, मजबूत लोकतंत्र एवं अच्छे सुशासन के लिए स्वंय को निःस्वार्थ रूप से देश को समर्पित कर दिया था। जब तक भारत में लोकतंत्र रहेगा व संविधान की पालना की जाती रहेगी। डॉ. अम्बेडकर संविधान निर्माता के रूप में स्वर्णिम में अमिट रहेंगे। यह शोध पत्र पूर्णतः द्वितीयक अध्ययन स्त्रोतों पर आधारित है।

Each nation has its own constitution and by this the governance of that country is determined. The Indian Constitution was enacted on 26 January 1950, which was Dr. This is the result of Ambedkar's understanding. As the Chairman of the "Drafting Committee" of the Constituent Assembly, he made an extraordinary contribution towards giving a definite shape to the Indian social and political system. His personality and thinking had a profound impact on the nature of the Indian Constitution. He considered social and economic exploitation in India to be a matter of grave concern. This is the reason that under various sections of the constitution, they have eliminated the evil and evil prevalent in the society. In order to maintain the unity of the country, he recognized Hindi in the Constitution as the national language. As a result, the Indian Constitution became a great document of social justice and homogeneity. He selflessly dedicated himself to the country for social equality, harmony, strong democracy and good governance. As long as there is democracy in India and the Constitution will be maintained. Dr. Ambedkar will remain indelible in the Golden Age as the constitution maker. This research paper is entirely based on secondary study sources.

मुख्य शब्द : समानता, समरसता, धर्मनिरपेक्षता, मानवीयता, बंधुत्व, लोकतंत्र, सुशासन, विधिवेता, निःस्वार्थ, निर्माता, प्रतीक, सिद्धान्त एवं अवधारणा आदि।

Equality, Harmony, Secularism, Humanism, Fraternity, Democracy, Good Governance, Legalism, Selflessness, Creator, Symbol, Principle and Concept etc.

प्रस्तावना

डॉ. भीमराव अम्बेड़कर उच्च श्रेणी के विधिवेता, संविधान निर्माता, संसदीय प्रजातन्त्र के समर्थक, धर्म सुधारक तथा भारत के दलित वर्गों एवं पिछड़े समाजों के प्रतिनिधि मसीहा थे। उनका संपूर्ण जीवन संघर्ष, समानता, मानवीयता और बंधुत्व समाज कल्याण से लेकर विश्व कल्याण की ओर रहा है। उन्होंने राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र का अगुआ बनकर भारतीय इतिहास की धारा को बदलकर कर दिखाया। आधुनिक भारत की सामाजिक और राजनीतिक विचारधारा के क्षेत्र में इनका महत्वपूर्ण स्थान हैं। उनके व्यक्तित्व और चिंतन का भारतीय संविधान के स्वरूप पर गहरा प्रभाव पड़ा, जिसके फलस्वरूप भारतीय संविधान तथा पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए विभिन्न संवैधानिक व्यवस्थाओं और प्रावधानों का निरूपन किया गया। परिणामस्वरूप भारतीय संविधान सामाजिक न्याय तथा समरूपता का एक महान दस्तावेज बन

गया। अतः उनकी गणना भारत में ही नहीं, बल्कि विश्व के महान् विद्वानों की श्रेणी में की जाती है। वे ज्ञालोलुप अध्येता और सात भाषाओं के ज्ञाता थे।

प्रत्येक राष्ट्र का अपना एक संविधान होता है और इसी के द्वारा उस देश की शासन व्यवस्था निश्चित की जाती है। वास्तव में संविधान उन नियमों अथवा कानूनों का संग्रह होता है, जिनके अनुसार सरकार के विभित्र अंगों का संगठन, उनकी शक्तियों, उनके आपसी सम्बन्धों, उस देश के नागरिकों के अधिकारों एवं कर्त्तव्यों अर्थात् राज्य और नागरिकों के परस्पर सम्बंधों का निर्धारण होता है। एस. ई. फाईनर के अनुसार ''संविधान केवल राजनीतिक संगठन की रूपररेखा प्रस्तुत नहीं करता, बल्कि वह शासन के विभिन्न अंगों की शक्तियों का विवरण देता है और इन शाक्तियों पर अंकुश रखने के साधन जुटाता है।''[1]

भारत देश का भी अपना एक संविधान है। भारतीय संविधान 26 जनवरी, 1950 को लागू किया गया था जो कि डॉ. अम्बेडकर की सूझबुझ का ही परिणाम हैं। भारत के मूल संविधान में 22 भाग एक प्रस्तावना, 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 2 परिशिष्ट थे तथा वर्तमान संविधान में में एक प्रस्तावना, लगभग 465 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 2 परिशिष्ट है। सर आइवर जैनिंग्स का कहना है कि ''भारत का संविधान संसार में सबसे अधिक लम्बा और विस्तृत संविधान है।''[2] अर्थात् भारत का संविधान विश्व का सबसे लम्बा, विस्तृत और लिखित संविधान है।

शोध के उद्देश्य (Objectives Of Research)

किसी भी शोध अध्ययन के लिए यह आवश्यक है कि अध्ययन अथवा शोध से पूर्व उसकी एक रूपरेखा एवं आधार निश्चित किया जाए। हमनें सामाजिक विज्ञानों की सीमाओं में रहते हुए– ''भारतीय संविधान निर्माण और डॉ. बी. आर. अम्बेड़कर'' विषय पर अध्ययनार्थ शोध को दिशा प्रदान एवं अध्ययन को विषय पर केन्द्रित करने हेतु निम्नलिखित उद्देश्यों का निर्धारण किया गया है :–

1. डॉ. भीमराव अम्बेड़कर के लोकतंत्र की अवधारणा को जानना।
2. डॉ. भीमराव अम्बेड़कर की संविधान निर्माण में भूमिका को दर्शाना।
3. डॉ. भीमराव अम्बेड़कर की राष्ट्र निर्माण में भूमिका का अध्ययन करना।
4. डॉ. भीमराव अम्बेड़कर का सामाजिक समरसता एवं समावेशी विकास को जानना।

डॉ. भीमराव अम्बेड़कर का नाम विश्व के ऐसे विद्वानों में लिया जाता है जिनका संपूर्ण जीवन संघर्ष, समानता, मानवीयता और बंधुत्व समाज कल्याण से लेकर विश्व कल्याण की ओर रहा है। किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व उनके सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक वातावरण, जीवन संघर्ष और अध्ययन पर निर्भर करता है और ऐसे ही व्यक्तित्व के धनी और सृजनकर्त्ता के रूप में डॉ. अम्बेड़कर को संपूर्ण विश्व में देखा और परखा जाता है।

साहित्यावलोकन (Review Of Litreture)

डॉ. भीमराव अम्बेड़कर पर पूर्व में कई अध्ययन किये गये हैं। यहाँ संदर्भित अध्ययन की समीक्षा की गई है, जो इस अध्ययन की दृष्टि से उपयोगी एवं प्रासंगिक हैं। व्यापक साहित्य इस विषय पर उपलब्ध होते हुए भी इस प्रकार के विषय पर शोध की सम्भावना सदैव बनी रहती है।

परिहार, डॉ. एम. एल., बाबा साहेब अम्बेड़कर लाइफ एण्ड मिशन, बुद्धम पब्लिशर्स, जयपुर, 2017 में डॉ. अम्बेड़कर की पारिवारिक पृष्ठभूमि, प्रारंभिक एवं उच्च शिक्षा, जाति प्रथा के खिलाफ विद्रोह, सामाजिक क्रांति, राजनीतिक विचारधरा, नारी आन्दोंलन, गोलमेज सम्मेलनों में भागीदारी, संविधान निर्मात्री सभा में योगदान, स्वतंत्र भारत में कानून मंत्री के रूप में भूमिका आदि का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है।

जाटव, डी. आर., डॉ. अम्बेड़कर का विधि दर्शन, समता साहित्य सदन, इमलीवाला फाटक, जयपुर, 1996 में लेखक ने अम्बेडकर के विविध विचारों में विधि व्यवस्था के सैद्धांतिक तथा व्यावहारिक पक्षों के साथ उनके व्यक्ति एवं समाज दोनों पर प्रभाव जो लोकतंत्र को ठोस आधार प्रदान करते है आदि का विस्तार से विवरण किया है।

भाटी, पी. एस., डॉ. अम्बेड़कर जीवन और विचारधारा, राजस्थान ग्रंथासागर प्रकाशन, जोधपुर, 2007 में डॉ. अम्बेडकर की उपलब्धियों, संगठन कौशल, पिछडें एवं दलित वर्गों के लिए किए गये कार्यों, उनकी दार्शनिक विचारधारा, संविधान निर्माण में भूमिका और उनके सिद्धातों आदि का अध्ययन किया है।

नवल, चन्दनमल, गरीबों के मसीहा डॉ. अम्बेड़कर, मिनर्वा पब्लिकेशन प्रकाशन, जोधपुर, 2010 में डॉ. अम्बेड़कर की संविधान निर्माण में भूमिका, दलित एवं उपेक्षित वर्गों, मजदूरों, अल्पसंख्यकों, वृद्धों, असहाय तथा महिलाओं के लिए किए गये कार्यों का विस्तार पूर्वक विवेचन किया गया है।

डॉ. अम्बेड़कर का जन्म भीमराव रामजी अम्बेड़कर 14 अप्रैल, 1891 को मध्य प्रदेश में ''म्हाओ' नामक स्थान के एक सैनिक छावनी में महाराष्ट्र के एक 'महार' जाति के भीमाबाई तथा रामजी मालोजी सकपाल के घर उनके चौदहवीं तथा अन्तिम सन्तान के रूप में हुआ। उनके परिवार का निवास स्थान अम्बाबडे ग्राम के रत्नागिरी महाराष्ट्र में था। इनके पिता श्री रामजी सकपाल सेना में सूबेदार मेजर थे। इनकी माता का नाम भीमाबाई था। अपने अध्यापक के प्रति श्रद्धा और सम्मान प्रकट करने के लिए भीमराव ने अपना नाम अम्बेडकर रख लिया था।[3] डॉ. अम्बेडकर ने अपने अध्यापक के प्रति श्रद्धा और सम्मान प्रकट किए। अतः उन्हें महाड़ का महात्मा, भारत का मर्टिन लुथर और आधुनिक काल का मनु आदि नामों से जाना जाता है।

डॉ. भीमराव अम्बेडकर अपने जन्मकाल से ही अछूत होने की वजह से अपमान व तिरस्कार का सामना किया। ''स्कूल के बरामदे में बैठकर पढ़ने का मामला हो या सतारा जाते हुए तांगे से पटक देने की घटना हो, बड़ौदा में निवास की समस्या हो या चपरासियों द्वारा दूर से ही फाइलें फेंकने की कुप्रवृत्ति हो, महाड़ जल ग्रहण का अभियान हो या नासिक के कालाराम मंदिर प्रवेश का सत्याग्रह हो, इन सभी घटनाओं ने उनके हृदय की छलनी किया हुआ था। कारण था, विकृत समाज व्यवस्था।''[4]

बचपन से ही आर्थिक और सामाजिक भेदभाव देखने वाले अम्बेडकर ने विषम परिस्थितियों में अध्ययन कार्य किया। स्कूल से लेकर कार्यस्थल तक उन्हें अपमानित किया। वे शिक्षित होने के बाद भी उन्हें जातिवाद का दंश झेलना पड़ा।

डॉ. अम्बेडकर शासन में संसदीय प्रजातन्त्र के जबरदस्त समर्थक थे। उनका मानना था कि संसदीय प्रजातन्त्र में कार्यपालिका को जनमत के प्रति निरन्तर संवेदनशील रहना होता है, क्योंकि इस पद्धति में नीति–निर्णय, वाद–विवाद और खुली चर्चा पर आधारित होते है। संसदीय प्रजातंत्र का समर्थन करते हुए भी अम्बेडकर भारत में ब्रिटेन की संसदीय प्रजातांत्रित प्रणाली को अपनाने के बिल्कुल भी समर्थन में नहीं थे। संसदीय प्रजातन्त्र पर उनकी प्रथम आपत्ति यह है कि उसमें विधि के समक्ष समानता को एक रूढ़ कानूनी सिद्धान्त समझ कर अपना लिया गया है तथा समाज में विद्यमान सामाजिक व आर्थिक विषमताओं की अपेक्षा की गई है। उनका मत था कि विधि के समक्ष समता का सिद्धान्त लोकतान्त्रिक जीवन का आदर्श तभी बन सकता है जबकि सामाजिक व आर्थिक विषमताओं का उन्मूलन कर दिया जाये तथा सभी व्यक्ति समान रूप से विधि के संरक्षणों से लाभान्वित होने की स्थिति में आ जाएं। उनकी द्वितीय आपत्ति यह है कि इसमें निर्णयों में अत्यधिक विलम्ब होता है।[5] अतः वे प्रजातंत्र में ऐसी शासन व्यवस्था पर जोर देते है जिसमें सभी धर्मों, जातियों तथा प्रत्येक व्यक्ति को समानता का अधिकार प्राप्त हो, जिसके द्वारा देश का विकास एव प्रगति संभव हो सके।

देश के लिए संविधान बनाने की मांग कॉंग्रेस ने 1935 में रखी थी परन्तु अँग्रेज सरकार ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। 1945 में इंग्लैण्ड में श्रमिक दल का मंत्रिमण्डल बना। सन् 1946 में केबिनेट मिशन इंग्लैण्ड से भारत आया। इस मिशन योजना के तहत भारत के लिए एक नए संविधान का निमार्ण करने हेतु एक संविधान सभा की व्यवस्था की गई। इस संविधान सभा में समूचे देश से 389 नेता निर्वाचित हुए। इन 389 सदस्यों में से 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि, 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि, 4 चीफ कमीश्नर क्षेत्रों के प्रतिनिधि, तथा 15 अन्य दलों के प्रतिनिधि थे।[6] इनमें से प्रमुख नेताओं में डॉ. राजेन्द्र प्रसाद, पंडित नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद, गोविन्द बल्लभ पंत, कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी, पुरूषोत्तम टंडन, टी.टी. कृष्णामाचारी, डॉ. सच्चिदानन्द सिन्हा, गोपाल स्वामी आयंगर, अब्दुल गफ्फार खां, सर फिरोज खां नून आदि थे।

15 अगस्त, 1947 को भारत अँग्रेजी शासन से स्वतन्त्र हुआ और भारतीय इण्डिपेंडेंस एक्ट लागू हो गया। 11 दिसम्बर, 1946 को डॉ. राजेन्द्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थाई अध्यक्ष चुना गया। 29 अगस्त, 1947 को एक सात सदस्यीय 'संविधान प्रारूप समिति' बनाई गई। इस समिति का अध्यक्ष डॉ. बी. आर. अम्बेडकर को नियुक्त किया गया। संविधान सभा के ''ड्राफ्टिंग समिति'' के अध्यक्ष के रूप में भारतीय सामाजिक एवं राजनितिक व्यवस्था को एक निश्चित आकार देने की दिशा में असाधारण योगदान दिया। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉ. बी. आर. अम्बेड़कर ने संविधान का यह प्रारूप संविधान सभा के अध्यक्ष डॉ. राजेन्द्र प्रसाद व प्रधानमंत्री पं. जवाहरलाल नेहरू को सौंप दिया। समिति के अन्य सात सदस्य–एन. गोपालस्वामी आयगंर, अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर, कन्हैयालाल मणिक लाल मुंशी, टी. टी. कृष्णामाचारी, मोहम्मद सादुल्ला, बी. एल. मित्तर और डी. पी. खेतान थे।[7] कुछ समय बाद बी. एल. मित्तर का स्थान एन. माधवराव ने और 1948 में डी. पी. खेतान की मृत्यु के कारण टी. टी. कृष्णामाचारी ने लिया। इसी उपलक्ष्य में हम प्रतिवर्ष 15 अगस्त को भारत में ''स्वतन्त्रता दिवस के रूप'' में मनाते है।

भारतीय संविधान 2 वर्ष, 11 माह, तथा 18 दिन में बनकर तैयार हुआ, जिसे आंशिक रूप से 26 जनवरी, 1949 तथा पूर्ण रूप से 26 जनवरी, 1950 को लागू किया गया था जो कि डॉ. अम्बेड़कर की सूझबुझ का ही परिणाम हैं। डॉ. अम्बेडकर ने संविधान लागू होने पर अपने विचार प्रकट करते हुए कहा था कि 26 जनवरी, 1950 को हम राजनीतिक रूप से समान और आर्थिक रूप से असमान होंगे जितना शीघ्र हो सके, हमें यह भेदभाव व असमानता दूर करनी चाहिए। यदि ऐसा न किया गया, तो वे लोग जो इस भेदभाव के शिकार हैं, राजनीतिक लोकतंत्र के ढांचे को खण्ड–खण्ड कर देंगे, जो इस सभा ने इतने परिश्रम से बनाया है।[8] अतः उन्होंने राजनीतिक और आर्थिक रूप से समानता तथा सामाजिक भेदभाव मिटाने पर का संदेश दिया तथा भारत के संविधान को 26 जनवरी, 1950 को ही लागू किया गया। इसलिए हम प्रति वर्ष 26 जनवरी को ''गणतंत्र दिवस'' मनाकर गौरवान्वित होते हैं।

संविधान सभा के अध्यक्ष डॉ. राजेन्द्र प्रसाद ने डॉ. अम्बेड़कर की भूरी–भूरी प्रशंसा करते हुए कहा है कि ''प्रारूप समिति के सदस्यों, विशेष रूप से इसके अध्यक्ष डॉ. अम्बेड़कर ने रूग्ण होने के बावजूद जितनी लगन और भक्ति भाव से काम किया है। इससे अधिक उचित निर्णय कोई नहीं हो सकता था, जब हमने उनको (डॉ. अम्बेडकर) प्रारूप समिति का सदस्य और फिर उसका अध्यक्ष चुना। वे न केवल अपने चयन पर खरे उतरे हैं, अपितु उन्होंने जो काम किया है, उसे भी चार चांद लगा दिये हैं।''[9]

भारत का संविधान बनाने में डॉ. अम्बेड़कर को ही सबसे अधिक मेहनत करनी पड़ी। डॉ. अम्बेड़कर पर संविधान निर्माण का बहुत भार था लेकिन वे लगातार अठारह–अठारह घण्टे बैठकर काम करते थे। प्रारूप समिति के ही एक सदस्य श्री टी. टी. कृष्णामाचारी ने 5 नवम्बर, 1948 को संविधान सभा में दिए गए अपने एक भाषण में कहा था ''सदन सम्भवतः इस बात से अवगत है कि आपके द्वारा मनोनीत सात सदस्यों में से एक ने इस्तीफा दे दिया था। उसकी पूर्ति की गई। एक सदस्य की मृत्यु हो गई पर उसके स्थान की पूर्ति नहीं हुई। एक सदस्य सुदूर अमेरिका में है और उसका स्थान भी एक सीमा तक खाली रहता है। स्वास्थ्य संबंधी कारणों से एक या दो सदस्य दिल्ली में दूर हैं और वे भी अपना काम नहीं संभाल पाते। इसलिए कुल मिलाकर संविधान के प्रारूप को तैयार करने का सारा उत्तरदायित्व डॉ.

अम्बेडकर पर ही आ पड़ा है और मुझे यह कहने में कोई झिझक नहीं है कि हम उनके प्रति बड़े आभारी हैं।'[10] उनकी इस कड़ी मेहनत को कभी भुलाया नहीं जा सकता। उनके रात–दिन के अथक प्रयासों से ही प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉ. बी. आर. अम्बेड़कर के नेतृत्व में संविधान का प्रारूप तैयार किया।

ग्रैनविले ऑस्टिन ने पहला और सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक दस्तावेज के रूप में अम्बेडकर द्वारा तैयार भारतीय संविधान का वर्णन किया। भारत के अधिकांश संवैधानिक प्रावधान या तो सामाजिक क्रान्ति के उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए अथक प्रयास किया। डॉ. अम्बेड़कर द्वारा तैयार किए गए संविधान के पाठ में व्यक्तिगत नागरिकों के लिए नागरिक स्वतंत्रता की एक विस्तृत श्रृंखला के संवैधानिक गारन्टी और सुरक्षा प्रदान की गई है, जिसमें धर्म की आजादी, छुआछूत को खत्म करना तथा विभिन्न प्रकार के भेदभाव को खत्म करना है। उन्होंने महिलाओं के व्यापक रूप में आर्थिक, सामाजिक अधिकारों की जायज माँग की जिससे उनके अधिकार सुरक्षित रह सके। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग के सदस्यों के लिए नागरिक सेवाये, स्कूलों, कॉलेजों में आरक्षण की व्यवस्था की।

बाबा साहेब अम्बेड़कर ने संविधान का काम पूरा करने के बाद कहा है कि–"मैं महसूस करता हूँ कि संविधान, साध्य (काम करने लायक) है, यह लचीला है पर साथ ही यह इतना मजबूत भी है कि देश को शांति और युद्ध दोनों के समय जोड़कर रख सके। वास्तव में, मैं कह सकता हूँ कि अगर कभी कुछ गलत हुआ तो इसका कारण यह नहीं होगा कि हमारा संविधान खराब था बल्कि इसका उपयोग करने वाला मनुष्य अधम था।"[11]

संविधान सभा में डॉ. अम्बेड़कर ने अपने वक्तव्य में व्यक्त किया कि ''संविधान सभा में मैं क्यों आया? केवल दलित वर्गों के हितों की रक्षा के लिए। इससे अधिक मेरी और कोई आकांक्षा नहीं थी। यहाँ पर मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, इसकी मुझे कल्पना नहीं थी। संविधान सभा ने मुझे प्रारूप समिति में नियुक्त किया, तब मुझे आश्चर्य तो हुआ ही, परन्तु जब प्रारूप समिति ने मुझे अपना अध्यक्ष चुना तो मुझे आश्चर्य का धक्का–सा लगा। संविधान सभा और प्रारूप समिति ने मुझ पर इतना विश्वास करके मुझसे यह काम सम्पन्न करवाया उसके लिए मैं उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करता हूँ।''[12]

संविधान की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए डॉ. अम्बेड़कर ने कहा कि– "संविधान चाहे कितना भी अच्छा हो, यदि उसको व्यवहार में लाने वाले लोग अच्छे न हों तो संविधान निश्चय ही बुरा साबित होगा। अच्छे लोगों के हाथों में बुरे संविधान की भी अच्छा साबित होने की संभावना रहती है। भारत के लोगों तथा राजनीतिक दलों का इसके साथ कैसा व्यवहार होगा यह कौन जान सकता है?"क्या भारत की जनता देश को अपने पंथ से उपर रखेगी या पंथ को देश से उपर रखेगी? मैं नहीं जानता। लेकिन यह बात निश्चित है कि यदि राजनीतिक दल अपने पंथ को देश से उपर रखेंगे तो हमारी स्वतंत्रता एक बार फिर से खतरे में पड़ जाएगी और संभवतया हमेशा के लिए खत्म हो जाए। अतः हमें इसकी आखिरी कतरे के साथ रक्षा करने का संकल्प करना चाहिए।"[13] भारतीय संविधान का अवलोकन करने के बाद कोलम्बिया विश्वविद्यालय, अमेरिका ने संविधान शिल्पी डॉ. बी. आर. अम्बेडकर को 5 जून, 1952 को एल. एल. डी. की उपाधि से विभूषित किया था। अतः डॉ. भीमराव अम्बेड़कर को ''धर्म सुधारक के साथ–साथ संविधान निर्माता भी कहा जाता है।

संविधान की प्रस्तावना में डॉ. अम्बेडकर ने लिखा है कि ''हम भारत के लोग, भारत को एक सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न, समाजवादी, पंथ–निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखण्डता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवम्बर, 1949 ईसवीं (मिति मार्ग शीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत दो हजार छह विक्रमी) को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।''[14]

डॉ. अम्बेडकर ने संविधान की विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत समाज में व्याप्त बुराईयों और कुरीतियों का अन्त कर दिया। अछूत, अस्पृश्य, दलित लोग दुकानों, सार्वजनिक होटलों, मनोरंजन के स्थानों, शिक्षण–संस्थानों, धर्मशालाओं, कुओं व सार्वजनिक नलों का भी उपयोग नहीं कर सकते थे। वर्ण व जाति व्यवस्था के शिकार स्वयं बाबा साहेब अम्बेड़कर भी हुए। छुआछूत के कारण ये स्वयं भी अपमानित हुए। डॉ. अम्बेड़कर ने देश में नागरिकों के लिए संविधान में मूल अधिकार, मूल कर्तव्य व नीति निर्देशक तत्व बनाये हैं जिससे व्यक्ति का सर्वांगीण विकास हो सके। वर्तमान में संविधान में अनुच्छेद–14 से 32 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन हैं। डॉ. अम्बेड़कर ने सामाजिक समरसता के लिए भारतीय संविधान की धारा–15 के अंतर्गत धर्म, जाति, लिंग, मूलवंष या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को कानूनी अपराध ही घोषित नहीं किया, बल्कि कठोर दण्ड व जुर्माना ही व्यवस्था की। अनुच्छदे–17 में अस्पृश्यता का अन्त किया गया। संविधान की धारा 19 के अन्तर्गत डॉ. अम्बेड़कर ने भारत के सभी नागरिकों को अपने विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता दिला दी, जबकि इससे पूर्व मजदूरों को जमींदारों के सामने, दलितों का सवर्णों के सामने, नौकर का अपने मालिक के समक्ष व स्त्रियों का पुरूषों के सामने बोलना भी अपराध माना जाता था।

डॉ. अम्बेड़कर संविधान की धारा 23 के अनुसार शोषण के विरूद्ध अधिकार बना दिया। इससे पहले जब संविधान लागू नहीं हुआ था तब निम्न लोगों के साथ दुर्व्यवहार करते थे। गरीबों का जमींदारों द्वारा शोषण किया जाता था। अम्बेडकर को इसका कंटिक अनुभव रहा है। गरीब, दलित वर्ग के इस शोषण का उनके जेहन में खूब दर्द था। संविधान की धारा 24 के अन्तर्गत चौदह वर्ष से कम आयु के किसी भी बालक को कारखाने या

खान में काम पर नहीं लगाया जा सकता है। संविधान की धारा 45 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अन्तर्गत 14 वर्ष से कम आयु के सभी बालक–बालिकाओं के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करने का कानून बना दिया जिससे देश के शैक्षणिक स्तर में सुधार हो सके।[15] अतः डॉ. अम्बेडकर ने संविधान की विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत समानता स्थापित कर समाज में व्याप्त बुराईयों और कुरीतियों का अन्त किया गया है।

डॉ. अम्बेडकर ने संविधान की धारा 335 के अन्तर्गत अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों के लिए सरकारी सेवाओं व पदों में आरक्षण की व्यवस्था करके दलित, निम्न, शोषित वर्ग के अधिकारों को मूर्तरूप प्रदान किया। इस सन्दर्भ में उनका मानना था कि जब दलित, निम्न वर्ग को सवर्ण लोग घरों में घुसने नहीं देते तो उनको नौकरियों में कैसे जाने देंगे? डॉ. अम्बेडकर और गाँधीजी के बीच पूना समझौता हुआ। इस समझौते पर 24 सितम्बर, 1932 को हस्ताक्षर किए जिसमें अम्बेडकर ने दलितों के सुरक्षित सीटें व पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की शर्त रखी थी। दलितों के लिए निर्धारित सीटें 14 प्रतिशत कर दी जाये। लेकिन इसमें दलितों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था खत्म कर दी गई तथा स्थान सुरक्षित रखे गये। गाँधीजी पृथक निर्वाचन की व्यवस्था को नहीं रखना चाह रहे थे। ''अनुसूचित जातियों को संघ और विधानमंडल में न्यूनतम प्रतिनिधित्व मिलेगा और यदि समूह संविधान होगा तो समूह विधानमंडल में कुल जनसंख्या से उनकी जनसंख्या के अनुपात के बराबर प्रतिनिधित्व मिलेगा, बशर्ते कि अन्य किसी अल्पसंख्यक जाति को उसकी जनसंख्या के अनुपात से अधिक प्रतिनिधित्व का दावा नहीं करने दिया जाए।''[16] अतः उन्होंने सभी धर्मों में समानता, समरसता तथा एकता स्थापित कर समाज को ''सामाजिक समरसता'' का संदेश दिया है।

भारत में अनुसूचित जातियों की माध्यमिक और महाविद्यालय शिक्षा के लिए धन जुटाने का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों पर होगा।'' विधायी निकायों के लिए मताधिकार प्रौढ़ मताधिकार होगा, मतदान–प्रणाली संचयी होगी। सेवाओं में प्रवेश के लिए विहित शर्तों के द्वारा 1942 और 1945 के संकल्पों में भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों को दी गई रियायतों में से किसी में कटौती नहीं की जाएगी। रिक्तियों को भरने के लिए गठित प्रत्येक लोक सेवा आयोग या समिति पर अनुसूचित जातियों का कम से कम एक प्रतिनिधि होगा। ''अनुसूचित जातियाँ भारत के किसी भी अल्पसंख्यक समुदाय की तुलना में बुरी स्थिति में हैं। अतः उन्हें अन्य अल्पसंख्यकों से भी ज्यादा संरक्षणों की जरूरत है।''[17] अतः उन्होंने समाज में पिछडी, दलित एवं अनुसूचित जातियों को मुख्य धारा में लाने के लिए समानता पर जोर दिया था।

अम्बेड़कर ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 का विरोध किया जिसमें जम्मू–कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा दिया और जिसे उनकी इच्छाओं के खिलाफ संविधान में शामिल किया गया था। डॉ. अम्बेड़कर ''समान नागरिक संहिता'' के पक्षधर थे और कश्मीर के मामले में धारा 370 का विरोध करते थे। अम्बेड़कर का भारत आधुनिक, वैज्ञानिक सोच और तर्कसंगत विचारों का देश होता, उसमें व्यक्तिगत कानून की जगह नहीं होती। अम्बेड़कर ने संविधान सभा में बहस के दौरान एक समान नागरिक संहिता को अपनाने पर बल देकर भारतीय समाज में सुधार करने की अपनी इच्छा प्रकट की। डॉ. अम्बेड़कर ने समान नागरिक संहिता में अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि–''मैं व्यक्तिगत रूप से समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्यों धर्म को इस विशाल, व्यापक क्षेत्राधिकार के रूप में दी जानी चाहिए ताकि पूरे जीवन को कवर किया जा सके और उस क्षेत्र पर अतिक्रमण से विधायिका को रोक सके। सब के बाद, हम क्या रहे हैं के लिए इस स्वतंत्रता? हमारे सामाजिक व्यवस्था में सुधार करने के लिए हमें यह स्वतंत्रता हो रही है, जो असमानता, भेदभाव और अन्य चीजों से भरा है, जो हमारे मौलिक अधिकारों के साथ संघर्ष करते हैं।'' 1951 में संसद में अपने हिन्दू कोड बिल (हिन्दू संहिता विधेयक) के मसौदे को रोके जोने के बाद अम्बेड़कर ने मंत्रिमण्डल से इस्तीफा दे दिया।[18] अतः उन्होंने हिन्दू कोड बिल द्वारा भारतीय महिलाओं को कई अधिकार प्रदान करने की सहमति जताई। इसमें उत्तराधिकार, विवाह और अर्थव्यवस्था के कानूनों में लैंगिक समानता की माँग की गई।

डॉ. अम्बेड़कर ने देश की एकता को बनाए रखने के लिए भारतीय संविधान में हिन्दी को राष्ट्रभाषा के रूप में मान्यता दिलवायी। उन्होंने 14 अक्टूबर, 1948 को भाषाई राज्यों की मांग पर बने आयोग के समक्ष प्रस्तुत ज्ञापन में कहा कि ''भाषाई राज्य बनाने में कोई खतरा नहीं हैं खतरा तो भाषा की राज्य बनाकर हर राज्य की सरकारी राजभाषा बनाने में है। किसी प्रांत की भाषा को राजभाषा बनाने पर प्रांतीय राष्ट्रवाद बन जाएगाा। हर राज्य की सरकारी राजभाषा प्रांतीय भाषा होने पर भारत एक संघ रहने की बजाए यूरोप की तरह टुकड़ों में बंट जाएगा। इसलिए सभी राज्यों की हिन्दी राष्ट्रभाषा राज्य व्यवहार के रूप में स्वीकार की जाए।''[19] अतः हिंदी ने राष्ट्रभाषा और राजभाषा के रूप में सभी देशवासियों को जोड़ने का कार्य किया है।

भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू ने संविधान निर्माता के रूप में डॉ. अम्बेड़कर की भूरिभूरि प्रशंसा करते हुए कहा कि– ''डॉ. अम्बेड़कर ने संविधान के निर्माण में एक अति महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। अतः वे सदैव हमारे संविधान शिल्पी के रूप में माने जाएंगे।'' एच. वी. कामथ ने कहा कि– ''डॉ. अम्बेड़कर की कानूनी योग्यताओं का लोहा माना जा चुका है यदि वे चाहे तो रात को दिन और दिन को रात बना सकते है यही नहीं वो इसे पूर्णरूप से सिद्ध भी कर सकते है।'' मुस्लिम नेता ताजामुल हुसैन ने कहा कि–''संविधान निर्माण का श्रेय डॉ. अम्बेडकर को जाता है, वे प्रतिभाशाली है। उन्हें विश्व के संविधानों और कानूनों का संपूर्ण ज्ञान है उन्होंने अपने स्वास्थ्य की परवाह किए बगैर आखिर तक मेहनत की जिसकी वजय से यह महान संविधान बन पाया है।''[20]

निष्कर्ष

उपरोक्त तथ्यों, कथनों, अध्ययनों एवं विवरणों के आधार पर हम कह सकते हैं कि संविधान की रचना के लिए भारत सदैव डॉ. भीमराव अम्बेड़कर ऋणी रहेगा

क्योंकि उनके द्वारा रचित संविधान के अनुरूप चलकर ही आज भारत उत्तरोतर विकास की ओर अग्रसर है। डॉ. अम्बेड़कर ने समाज के प्रत्येक वर्गों को समानता के लिए लड़ाई लड़ी, जिससे सामाजिक अंधविश्वास और शोषण को जड़ से मिटाया जा सके। उन्होंने पिछडें, दलित, आदिवासियों एवं उपेक्षित वर्गों, मजदूरों, अल्पसंख्यकों तथा महिलाओं के हितों, अधिकारों को संविधान में लिखित रूप में लिपिबद्ध किया। उनके लिए संविधान में संवैधानिक प्रावधान बनाये गये। उन्होंने देश की एकता को बनाए रखने के लिए भारतीय संविधान में हिन्दी को राष्ट्रभाषा के रूप में मान्यता दिलवायी। उन्होंने सामातिक समानता, समरसता, मजबूत लोकतंत्र एवं अच्छे सुशासन के लिए स्वंय को निःस्वार्थ रूप से देश को समर्पित कर दिया था। जब तक भारत में लोकतंत्र रहेगा व संविधान की पालना की जाती रहेगी, डॉ. अम्बेडकर संविधान निर्माता के रूप में स्वर्णिम में अमिट रहेंगे। अतः उनके विचारों की वर्तमान समय में भी उतनी ही उपयोगीता है। जो हमें सामातिक समानता, समरसता, देश सेवा, के साथ–साथ एक अच्छे लोकतंत्र की स्थापना, देश व समाज के विकास के लिए प्रेरित करते रहेंगे। भारत के राजनीतिक इतिहास में डॉ. अम्बेड़कर के योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। अतः आने वाली पीढ़ीया उनको संविधान निर्माता, सामाजिक समरसता के प्रतीक, राष्ट्रीय एकता तथा आधुनिक राष्ट्र निर्माता के रूप में याद करती रहेगी।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. *गाबा, ओ. पी., तुलनात्मक राजनीति की रूपरेखा, मयूर पेपर बैक्स प्रकाशन, नोएडा, 2016, पृ.स. 60–61.*
2. *एम. लक्ष्मीकांत, भारत की राजव्यवस्था, समकालीन राजनीति सिद्धान्त, मेग्राहील प्रकाशन, नई दिल्ली, 2015, पृ.स. 3.1.*
3. *चतुर्वेदी, डॉ. मधुकर श्याम, प्रमुख भारतीय राजनीतिक विचारक, कॉलेज बुक हाउस, जयपुर, 2011, पृ.स. 409.*
4. *सांभरिया, रत्नकुमार, डॉ. अम्बेड़कर–एक प्रेरक जीवन, बुद्धम पब्लिशर्स, जयपुर, 2015, पृ.स. 19.*
5. *चतुर्वेदी, डॉ. मधुकर श्याम, पूर्वोक्त, पृ.स. 434.*
6. *एम. लक्ष्मीकांत, पूर्वोक्त, पृ.स. 2.1–2.2.*
7. *नारवाल, डॉ. प्रेमकुमार, दुगाग्दास, डॉ. बी. आर. अम्बेडकर संविधान निमाण में भूमिका एवं राजनीतिक दर्शन, पृ.स. 81.*
8. *सांभरिया, रत्नकुमार, पूर्वोक्त, पृ.स. 21.*
9. *मीना, डॉ. जनक सिंह, अम्बेड़कर दर्शन के विविध आयाम, लाइफ एण्ड मिशन, अखण्ड़ पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली, 2020, पृ.स. 82.*
10. *परिहार, डॉ. एम. एल., बाबा साहेब अम्बेड़कर लाइफ एण्ड मिशन, बुद्धम पब्लिशर्स, जयपुर, 2017, पृ.स. 273.*
11. *मीना, डॉ. जनक सिंह, पूर्वोक्त, पृ.स. 83–84.*
12. *परिहार, डॉ. एम. एल., पूर्वोक्त, पृ.स. 286.*
13. *कश्यप, सुभाष, हमारा संविधान, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास प्रकाशन, दिल्ली, 2015, पृ.स. 31–32.*
14. *बसु, डॉ. दुर्गादास, भारतीय संविधान का एक परिचय, लेक्सीस नेक्सीस प्रकाशन, गुरूग्राम, 2013, पृ.स. 18–20.*
15. *कश्यप, सुभाष, पूर्वोक्त, पृ.स. 75–80.*
16. *बाबा साहब डॉ अम्बेडकर, (सम्पूर्ण वाड़मय) खण्ड़–2 संवैधानिक सुधार एवं आर्थिक समस्याएँ, डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार–नई दिल्ली प्रकाशन, सांतवां संस्करण–2014, पृ.सं. 185.*
17. *मीना, डॉ. जनक सिंह, पूर्वोक्त, पृ.स. 87.*
18. *बाबा साहब डॉ अम्बेडकर, (सम्पूर्ण वाड़मय) खण्ड़–2, पूर्वोक्त, पृ.स. 186–190.*
19. *परिहार, डॉ. एम. एल., पूर्वोक्त, पृ.स. 281.*
20. *परिहार, डॉ. एम. एल., उपरोक्त, पृ.स. 291.*